अनुबंध

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने की संशोधित योजना

1 . परिचय

किसानों की उत्पादन ऋण आवश्यकताओं को समय पर और झंझट रहित तरीके से पूरा करने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड एक अभिनव ऋण वितरण तंत्र के रूप में उभरा है। उक्त योजना पूरे देश में विशाल संस्थागत ऋण ढांचा, जिसमें वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियां शामिल हैं, द्वारा कार्यान्वित की जा रही है और इसे बैंकरों और किसानों ने व्यापक रूप से अपनाया है। हालांकि, कार्यान्वयन के पिछले 13 वर्षों के दौरान, योजना को कार्यान्वित करने में

नीति निर्माताओं, बैंकों और किसानों को कई अवरोधों का सामना करना पड़ा। भारत सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न समितियों द्वारा की गई सिफारिशों में और नाबार्ड द्वारा किए गए अध्ययनों में भी इस तथ्य की पुष्टि के गयी है। इसलिए यह महसूस किया गया कि मौजूदा किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर फिर से विचार कर इसे किसानों और बैंकरों दोनों के लिए वास्तव में आसान और झंझट रहित बनाया जाना जरूरी है। तदनुसार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना की समीक्षा करने के लिए एक कार्य दल का गठन किया। कार्य दल की सिफारिशों,जो भारत सरकार द्वारा स्वीकार की गयी है, के आधार पर निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं :

2 . योजना की प्रयोजनीयता

आगामी पैरा में विस्तार से वर्णित संशोधित केसीसी योजना को वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा कार्यान्वित किया जाना है। योजना में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को परिचालन में लाने के संबंध में बैंकों के लिए व्यापक दिशा निर्देश दिए गए हैं। संस्था/स्थान विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने हेतु इन्हें अपनाना, कार्यान्वयनकर्ता बैंकों के विवेक पर होगा ।

3 . उद्देश्य /प्रयोजन

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली से एक एकल खिड़की के तहत किसानों को नीचे उल्लिखित प्रकार से उनकी खेती और अन्य जरूरतों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण सहायता प्रदान करना है :

क) फसलों की खेती के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करना
ख) फसल के बाद के खर्चे
ग) उत्पाद के विपणन के लिए ऋण
घ) किसान की घरेलू खपत आवश्यकताओं के लिए
ङ) फार्म आस्तियों और कृषि से संबद्ध गतिविधियों जैसे दुधारु पशुओं, अंतर्देशीय मत्स्यपालन आदि के रखरखाव के लिए कार्यकारी पूंजी
च) कृषि और पम्प सेट, स्प्रेयर्स, दुधारु पशुओं आदि जैसी कृषि से संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश क्रेडिट आवश्यकताएं

टिप्पणी : उपर्युक्त **क से च** तक के घटकों का जोड़ अल्पावधि क्रेडिट सीमा का भाग होगा। और **च के तहत** घटकों का जोड़ दीर्घकालीन ऋण सीमा का भाग होगा।

4 . पात्रता

i. सभी किसान_ अलग-अलग व्यक्ति / ऐसे संयुक्त उधारकर्ता जो स्वामित्ववाले खेतीहर हैं

ii. काश्तकारी किसान, मौखिक पट्टेदार और शेयर फसलकर्ता

iii. स्व सहायता समूह या काश्तकार, बंटाईदार आदि सहित किसानों के संयुक्त देयता समूह

5 . क्रेडिट सीमा / ऋण राशि का निर्धारण

किसान क्रेडिट कार्ड के तहत क्रेडिट सीमा निम्नानुसार निर्धारित की जाए :

5 .1. सभी सीमांत किसानों के अलावा अन्य किसान :

5 .1.1. प्रथम वर्ष के लिए आंकी जानेवाली अल्पावधि सीमा: वर्ष में एक ही फ़सल उगानेवाले किसानों के लिए: फसल के लिए वित्त मान (जिला स्तरीय तकनीकी समिति निर्णीत प्रकार से) x उपज की गई खेती का क्षेत्र + फसल के बाद /घरेलू/खपत आवश्यकताओं के प्रति प्राप्त सीमा का 10% + फार्म आस्तियों की मरम्मत और रखरखाव के खर्च की सीमा का 20% + फसल बीमा, पीएआइएस तथा आस्ति बीमा।

5 .1.2. दूसरे और बाद के वर्ष के लिए सीमा : फसल उगाने के प्रयोजनके लिए पहले वर्ष की उपर्युक्त प्रकार से आंकी गयी सीमा अधिक लागत वृद्धि /बाद के प्रत्येक वर्ष (दूसरे, तीसरे,चौथे और पांचवें वर्ष) के लिए वित्त मान में वृद्धि की सीमा का 10 % और किसान क्रेडिट कार्ड की अवधि अर्थात पांच साल के लिए अनुमानित मीयादी ऋण घटक **(उदाहरण I)।**

5 .1.3. एक वर्ष में **एक से अधिक फसल लेनेवाले किसानों के लिए:** पहले वर्ष के लिए प्रस्तावित **फसल पैटर्न** के अनुसार उगाई गई फसल के आधार पर सीमा उपर्युक्त प्रकार से निर्धारित की जानी है और लागत वृद्धि /बाद के प्रत्येक वर्ष (दूसरे, तीसरे,चौथे और पांचवें वर्ष)के की वृद्धि लिए सीमा का 10% । यह मान लिया गया है कि किसान शेष चार साल के लिए भी यही फसल पैटर्न अपनाएंगे। यदि बाद के वर्षों में किसान द्वारा अपनाया गया फसल पैटर्न बदल दिया जाता है तो सीमा का पुन: निर्धारण किया जाए। **(उदाहरण I)।**

5 .1.4. भूमि विकास, लघु सिंचाई, कृषि उपकरणों की खरीद और संबद्ध कृषि गतिविधियों हेतु **निवेश के लिए मीयादी ऋण।** बैंक कृषि और संबद्ध गतिविधियों, आदि, हेतु मीयादी और कार्यकारी पूंजी मात्रा का निर्धारण द्वारा किसान अभिग्रहण के लिए प्रस्तावित आस्तियों की यूनिट लागत, पहले से ही खेत पर की जा रही संबद्ध गतिविधियों, किसान पर मौजूदा ऋण दायित्वों सहित पड़नेवाले कुल ऋण भार की तुलना में उसकी चुकौती क्षमता संबंधी अधिनिर्णय के आधार पर कर सकते हैं।

5 .1.5. दीर्घकालिक ऋण सीमा पांच वर्ष की अवधि के दौरान प्रस्तावित निवेश और किसान की चुकौती क्षमता के संबंध में बैंक की धारणा पर आधारित है।

5 .1. 6 . अधिकतम अनुमत सीमा: पांचवें वर्ष के लिए आंकी गई अल्पावधि ऋण सीमा अधिक अनुमानित दीर्घावधि आवश्यकताएं **अधिकतम अनुमत सीमा (एमपीएल)** होगी और इसे **किसान क्रेडिट कार्ड सीमा** माना जाएगा।

5 .1.7. सीमांत किसानों से इतर के लिए उप सीमा का निर्धारण:

i) अल्पावधि ऋण और मी यादी ऋण भिन्न-भिन्न ब्याज दरों द्वारा नियंत्रित हो ते हैं । इसके अलावा , अल्पावधि फसल ऋण को वर्तमान में ब्याज सबवेंशन योजना / तत्काल चुकौती प्रोत्साहन योजना के तहत शामिल कि या जा ता है । साथ ही, अल्पावधि और सावधि ऋण के लिए चुकौती कार्यक्रम और मानदंड अलग - अलग हैं । इस कारण , परिचालन और लेखांकन सुविधा की दृष्टि से , कार्ड की सीमा का अल्पकालिक नकदी ऋण सीमा सह बचत खाते और सावधि ऋण के लिए अलग उप सीमा में विभाजन किया जाना है ।

ii) **आहरण सीमा** अल्पावधि नकद ऋण के लिए फसल पैटर्न और फसल उत्पादन , मरम्मत और खेत संपत्ति के रखरखाव तथा खपत के लिए किसान की सुविधा के अनुसार राशि आहरण की अनुमति दी जा सकती है । पांच साल की सीमा तय करते समय यदि जिला स्तरीय समिति द्वारा किसी **भी वर्ष के लिए वित्त के मान में संशोधन अपेक्षित 10% नोशनल रूप में वृद्धि से बढ़ जाने पर** एक संशोधित आहरण सीमा (लिमिट) निर्धारित की जा सकती है और किसा नों को इसकी सूचना दी जाए। यदि कार्ड की सीमा को ही इस प्रकार संशोधनों के कारण बढ़ाना जरूरी हो जाए (चौथे या पांचवें वर्ष) तो ऐसा किया जाए और किसा नों को इसकी सूचना दी जाए। मीयादी ऋ णों के लिए , निवेश के स्वरूप के आधार पर किस्तें आहरित करने की अनुमति दी जाए एवं प्रस्तावित निवेश आर्थिक लाइफ के अनुसार चुकौती कार्यक्रम तैयार किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कभी भी कुल देयता संबंधित वर्ष की आहरण सीमा के भीतर रहती है।

iii) जहाँ कहीं भी इस प्रकार आंकी गई कार्ड सीमा / देयता के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था करना जरूरी हो जाए वहां बैंक अपनी नीति के अनुसार उपयुक्त संपार्श्विक जमानत ले सकता है ।

5.2. सीमांत किसानों के लिए:

जोत तथा फसल के बाद की गोदाम भंडारण संबं धी क्रेडिट की जरूर तों और अन्य फार्म के ख र्चों,, खपत की जरूरत आदि , सहित उगाई गई फसलों अधिक भूमि के मूल्य से सं बद्ध किए बिना शाखा प्रबंधक के मूल्यांकन के अनुसार कृषि उपकरणों की खरीद , मिनी डेयरी/पिछवाड़े (बैकयार्ड) की पोल्ट्री स्था पित करने जैसे छोटे मीयादी ऋण निवेश के आधार पर रु 10 , 000 रुपये , रु 50 ,000 की एक लची ली सीमा (**फ्लेक्सी केसीसी के रूप में**) प्रदान की जा ए। इस आधार पर पांच वर्ष की अवधि के लिए **सं मिश्र केसीसी** सीमा निर्धारित की जाए। जहाँ कहीं फसल पैटर्न / और / या वित्त के मान में परिवर्तन के कारण उच्च तर सीमा आवश्यक हो, वहां पैरा 5.1 में उल्लिखित अनुमान न के अनुसार सीमा आंकी जा सक ती है (**उदाहरण II**)।

6. वितरण :

6.1. किसान क्रेडिट कार्ड सीमा का अल्पावधि घटक परिक्रामी नकद ऋण सुविधा स्वरूप का है। कितनी बार डेबिट और क्रेडिट हो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए । तथापि, किसी वर्ष विशेष में आहरित आहरण योग्य सीमा की प्रत्येक किस्त को 12 मही नों के भीतर चुका या जाना होगा । वर्तमान सीज़न / वर्ष के लिए आहरण सीमा में से निम्न वितरण (सुपुर्दगी) चैनलों में से किसी का उपयोग कर आहरित करने की अनुमति दी जा सकती है ।

क. शाखा के माध्यम से परि चालन
ख. चे क सुविधा का उपयोग से परि चालन
ग. एटीएम / डेबिट कार्ड के माध्यम से आहरण
घ. कारोबारी प्रतिनिधि और अल्ट्रा थिन शाखाओं के माध्यम से परि चालन
ङ. विशेष रूप से टाई अप अग्रिम के लिए , चीनी मिलों / ठेकेदारी खेती कंपनियों , आदि में उपलब्ध पीओएस के माध्यम से आपरेशन

च. निविष्टि डीलरों के पा स उपलब्ध पीओएस के माध्यम से परि चालन
छ . कृषि इनपुट डीलरों और मंडियों में मोबाइल आधारित अंतरण लेनदेन ।

टिप्पणी : (ड) , (च) और (छ) यथा संभव जल्दी लागू करना है ताकि बैंक एवं किसान दोनों के लिए लेन - देन की लागत कम हो सके।

6.2. निवेश प्रयोजनों के लिए दीर्घावधि ऋण निर्धारित किस्त के अनुसार तैयार किए जा सक ते हैं।

7. सीसी की सीमा और मीयादी ऋण सीमा कार्ड की समग्र सीमा के दो अलग - अलग घटक हैं जिनकी ब्याज दरें और चुकौती अवधियां भिन्न भिन्न हैं,जब तक एक संयुक्त कार्ड दोनों में से एक की उप सीमाओं में लेनदेन अलग अलग हिसाब करने के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर के साथ जारी नहीं किया जाता है, तब तक दो अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी किए जाएं।

8. वैधता /नवीकरण

i) बैंक केसीसी की वैधता अवधि और उसकी आवधिक समीक्षा निर्धारित कर सकते हैं।

ii) समीक्षा के परिणामस्वरूप उधारकर्ता के फसल क्षेत्र / पैटर्न और कार्यनिष्पादन में होनेवाली वृद्धि के आधार पर सुविधा आगे जारी रखना, सीमा में बढ़ोतरी या सीमा रद्द करना/ सुविधा को वापस लेने की कार्रवाइया होंगी।

iii) प्राकृतिक आपदाओं से किसान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो जाने के कारण बैंक द्वारा जब पुनर्भुगतान की अवधि में विस्तार और/ या पुंर्निर्धारण किया जाता है तो परिचालनों की स्थिति की गणना संतोषजनक या अन्यथा रूप में करने अवधि सीमा की विस्तारित राशि के साथ साथ बढ़ जाएगी। जब प्रस्तावित विस्तार एक फसल मौसम से अधिक है तब जिन कुल डेबिट पर एक्स्टेंशन दिया गया हो उन्हें किश्तों में भुगतान के लिए शर्त के साथ अलग मीयादी ऋण खाते में अंतरित किया जाना है।

9. ब्याज दर (आरओआई):

ब्याज की दर आधार दर से संबद्ध की जाए गी और इसे बैंकों के विवेक पर होगा।

10. चुकौती अवधि:

10.1. अल्पावधि उप - सीमा के अंतर्गत उ प र्युक्त पैरा 3 की मद (क) से (ङ) के अनुसार अनुमानित प्रत्येक आहरण को 12 महीनों में डेबिट शेष को एक निश्चित समय खाते में शून्य पर लाने की आवश्यकता के बिना खाते के परिसमापन की अनुमति दी जानी है । खाते में कोई आहरण 12 महीनों से अधिक समय के लिए बकाया नहीं रहना चाहिए ।

10.2. निवेश ऋण के लिए मीयादी ऋण घटक सामान्य रूप से लागू दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्य/ निवेश के आधार पर 5 साल की अवधि के भीतर देय होगा।

10.3. वित्तपोष क बैंक अपने विवेक पर निवेश के प्रकार के आधार पर मीयादी ऋण के लिए लंबी चुकौती अवधि प्रदान कर सक ते हैं।

11. मार्जिन: बैंकों द्वारा निर्णीत किया जाना है।

12. सुरक्षा:

12.1. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार सुरक्षा लागू हो गी।

निम्नानुसार हों :

i भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान दिशा - निर्देशों के अनुसार 1.00 लाख रुपये के कार्ड की सीमा तक फस ल दृष्टि बंधक रखना।

ii वसूली के टाई अप के साथ: बैंक फसलों के दृष्टि बंधक पर संपार्श्विक जमानत का आग्रह किए बिना 3.00 लाख रुपए की कार्ड सीमा तक ऋण मंजूरी पर विचार कर सकते हैं ।

iii गैर टाई अप अग्रि मों के मामले में 1.00 लाख रुपए और टाई अप अग्रि मों के मामले में 3.00 लाख रुपए से अधिक की ऋण सीमा के लिए बैंक के विवेक पर संपार्श्विक जमानत प्राप्त की जा सक ती है ।

iv जिन राज्यों में बैंकों को भूमि रिकॉ र्डों पर ऑन लाइन प्रभार निर्माण करने की सुविधा प्राप्त है वहां इसे सुनिश्चित किया जाए ।

1 3. अन्य विशेषताएं:

निम्नलिखित के संबंध में एकरूपता अपनाई जा ए :

i शीघ्र चुकौती के लिए भारत सरकार और / या राज्य सरकारों द्वारा सूचित प्रकार से ब्याज सबवेंशन /प्रोत्साहन । बैंकर किसानों को इस सुविधा के बारे में अवगत कराएंगे।

ii किसान क्रेडिट कार्ड धारक को फसल बीमा , आस्ति बीमा , व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना (पेस) , और स्वास्थ्य बीमा (जिन मामलों में उत्पाद उपलब्ध है और उस ने अपने किसान क्रेडिट कार्ड खाते के माध्यम से प्रीमियम का भुगतान किया है) का लाभ लेने के विकल्प हो ने चाहिए । किसान क्रेडिट कार्ड खातों में से बीमा कंपनियों को आवश्यक प्रीमियम का भुगतान बैंक और किसान के बीच सहम त अनुपात के आधार पर किया जाना होगा । किसान लाभार्थियों को उपलब्ध बीमा कवर के बारे में बताया जाना चाहिए और आवेदन पत्र के स्तर पर ही उनकी सहमति प्राप्त की जा नी है ।

iii पहली बार सुविधा प्राप्त करने के समय एकबारगी प्रलेखीकरण हो और उसके बाद दूसरे वर्ष से किसान द्वारा (उगाए जानेवाले /प्रस्तावित फसलों के बारे में) सरल घोषणा ।

14. एनपीए के रूप में खाते का वर्गीकरण:

14.1. समिति ने आस्ति वर्गीकरण को सरल बनाने की दृष्टि से सिफारिश की है कि कोई खा ता, जब गत एक वर्ष के दौरान किसी भी समय पर बकाया राशि आहरण सीमा [अल्पावधि (फसल) ऋण] से कम या उसके समकक्ष रह जाए तो उसे 'मानक ' के रूप में माना जा सकता है । दूसरे शब्दों में , यह सुझाव है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर मंजूर अल्पावधि फसल ऋण (फसल ऋण के एक प्रमुख घटक के साथ) को विवेकपूर्ण मानदंड लागू करने के प्रयोजन के लिए एक "नकदी ऋण खाते " के रूप में माना जा सकता है और यदि बकाया राशि आहरण सीमा से कम या उसके समकक्ष रह जाए तथा प्रत्येक आहरण को 12 मही नों की अवधि के भीतर चुकाया गया हो तो उसे

"अव्यवस्थित" के रूप में नहीं मान ना चाहिए । केसीसी के अंतर्ग त सावधि ऋण के लिए एक निर्धारित चुकौती कार्यक्रम है और उस पर मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंड लागू हैं।

14.2. कृषि अग्रिम के लिए लागू प्रकार से ब्याज वसूली एक समान रूप से की जानी चाहिए।

15. प्रसंस्करण शुल्क बैंकों द्वारा निर्णीत किया जा सकता है ।

16. संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दिशानिर्देशों को लागू कर ते समय भारत सरकार द्वारा सुझा यी गई अन्य शर्तें:

• यदि किसान अपने उत्पाद न के गोदाम रसीद की जमानत पर ऋण के लिए आवेदन करता है तो बैंक इस तरह के अनुरोध पर स्था पित क्रिया विधि और दिशानिर्देशों के अनुसार विचार करें गे। तथापि, जब इस तरह के ऋण मंजूर किए जाते हैं तब इ न्हें फसल ऋण खाते , यदि कोई हो, के साथ संबद्ध और यदि किसान चाहे तो, खाते में बकाया फसल ऋण का निपटान गिरवी ऋण के संवितरण करने के स्तर पर किया जा सकता है :

• भार तीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआइ) केसीसी कार्ड डिजाइन करे गा जिसे सभी बैंकों द्वारा अपनी ब्रांडिंग के साथ अपनाया जा ना है।

• सभी नए केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दिशा - निर्देशों के अनुसार जारी कि ए जा ने चाहिए । साथ ही, मौजूदा किसान क्रेडिट कार्ड के नवीकरण के समय , किसानों को स्मार्ट कार्ड - व - डेबिट कार्ड जारी किया जाना चाहिए ।

उदाहरण I	
<u>अ.</u> <u>एक वर्ष में बहुविध फसल उगानेवाले छोटे कृषक</u>	
अवधारणाएं :	
क. जोत : 2 एकड़	
ख. फसल का पैटर्न : धान - 1 एकड़ (वित्त का मान अधिक प्रति एकड़ फसल बीमा:रु.11000)	
गन्ना- 1 एकड़ (वित्त का मान अधिक प्रति एकड़ फसल बीमा:रु. 22000)	
ग. निवेश / संबद्ध गतिविधियां :	
i) प्रथम वर्ष में 1+1 डेरी यूनिट की स्थापना (यूनिट लागत रु. 20,000 प्रति पशु)	
(ii) तीसरे वर्ष में पंपसेट बदलना (यूनिट लागत रु. 30,000)	
2. (i) फसल ऋण घटक धान की 1 एकड़ और गन्ने की 1 एकड़ खेती की लागत (11,000 + 22,000) जोड़िए : मौसम के बाद के लिए/ घरेलू खर्चे / खपत के प्रति 10% रखरखाव के प्रति 20%	 : रु. 33,000 : रु. 3,300 जोडिए : फार्म के : रू. 6,600
प्रथम वर्ष के लिए कुल फसल ऋण सीमा	**: रु. 42,900**
दूसरे वर्ष के लिए ऋण सीमा	
जोड़िए : लागत वृद्धि / वित्त के मान में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10% (42900 का 10% अर्थात् 4300)	 : रु. 4,300 : रु. **47,200**
तीसरे वर्ष के लिए ऋण सीमा	
जोड़िए : लागत वृद्धि / वित्त के मान में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10% (47,200 का 10% अर्थात 4,700) : रु. 4,700 : रु. **51,900**	
चौथे वर्ष के लिए ऋण सीमा	
जोड़िए : लागत वृद्धि / वित्त के मान में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10% (51,900 का 10% अर्थात 5,200) : रु. 5,200 : रु. **57,100**	

पांचवे वर्ष के लिए ऋण सीमा	
जोड़िए : लागत वृद्धि / वित्त के मान में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10%	
(57,100 का 10% अर्थात 5,700)	: **रु. 5,700**
	: रु. 62,000
	जैसे रु. 63,000....(ए)
(ii) मीयादी ऋण घटक :	
प्रथम वर्ष : 1+1 डेरी यूनिट की लागत	: रु. 40,000
तीसरा वर्ष : पंपसेट को बदलना	: रु. 30,000
कुल मीयादी ऋण राशि	**: रु. 70,000.....(बी)**
अधिकतम अनुमत सीमा / किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट (ए) + (बी)	**: रु. 1,33,000**
	रु. 1.33 लाख
टिप्पणी :	
प्राप्त किए गए मीयादी ऋण (णों) की चुकौती के शेड्यूल के आधार पर आहरण सीमाएं प्रत्येक वर्ष घटा दी जाएंगी और आहरण सीमा की मात्रा तक राशियां आहरित करने की अनुमति दी जाएगी।	
आ : एक वर्ष में बहुविध फसल उगानेवाले कृषक	
1. अवधारणाएं :	
2. जोत : 10 एकड़	
3. फसल का पैटर्न :	
धान - 5 एकड़ (वित्त का मान अधिक प्रति एकड़ फसल बीमा : रू. 11,000)	
इसके बाद मूंगफली - 5 एकड़ (वित्त का मान अधिक प्रति एकड़ फसल बीमा : रू. 10,000)	
गन्ना - 5 एकड़ (वित्त का मान अधिक प्रति एकड़ फसल बीमा : रू. 22,000)	
4. निवेश / संबद्ध गतिविधियां :	
(i) प्रथम वर्ष में स्थापना 2+2 डेरी यूनिट (यूनिट लागत रु. 1,00,000)	
(ii) प्रथम वर्ष में ट्रेक्टर की खरीद (यूनिट लागत रू. 6,00,000)	
2. कार्ड सीमा का निर्धारण	
(i) फसल ऋण घटक	
धान की 5 एकड़, मूंगफली की 5 एकड़ और गन्ने की 5 एकड़ खेती	: रु. 2,15,000
जोड़िए : मौसम के बाद के लिए /घरेलू खर्चे / खपत के प्रति 10%	: रु. 21,500
जोड़िए : फार्म के रखरखाव के प्रति 20%	: रू. 43,000
प्रथम वर्ष के लिए कुल फसल ऋण सीमा	**: 2,79,500**
दूसरे वर्ष के लिए ऋण सीमा	
जोडिए : लागत वृद्धि / वित्त के मान में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10%	
(2,79,500 का 10% अर्थात 27,950)	: रु. 27,950
	: **रु. 3,07,450**

तीसरे वर्ष के लिए ऋण सीमा जोडिए : लागत वृद्धि / वित्त के मान में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10% (3,07,450 का 10% अर्थात 30,750) : रु. 30,750 : **रु. 3,38,200**
चौथे वर्ष के लिए ऋण् सीमा जोडिए : लागत वृद्धि / वित्त के मान में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10% (3,38,200 का 10% अर्थात 33,800) : रु. 33,800 **: रु. 3,72,000**
पांचवे वर्ष के लिए ऋण् सीमा जोडिए : लागत वृद्धि / वित्त के मान में बढ़ोतरी के प्रति सीमा का 10% (3,72,000 का 10% अर्थात 37,200) : रु. 37,200 : रु. 4,09,200 : **रु. 4,09,000....(ए)**
(ii) मीयादी ऋण घटक : 2 + 2 डेरी यूनिट की लागत : रु. 1,00,000 : ट्रैक्टर की खरीद : रु. 6,00,000
कुल मीयादी ऋण राशि : रु. 7,00,000....(बी)
अधिकतम अनुमत सीमा / किसान क्रेडिट कार्ड सीमा (ए) + (बी) : 11,09,000 रुपए **: 11.09 लाख रुपए**
प्राप्त की गई सीमा और आहरणों की अनुमति आहरण सीमा की मात्रा तक होगी

उदाहरण II
केसीसी सीमा का निर्धारण
1: एक वर्ष में एकल फसल उगानेवाले सीमांत कृषक
1. अवधारणाएं : 1. जोत भूमि : 1 एकड़ 2. उगाई गई फसल: धान (वित्त का मान अधिक प्रति एकड़ फसल बीमा:रु.11000) 3. फसल के पैटर्न में 5 वर्ष के लिए कोई बदलाव नहीं है। 4. संबद्ध गतिविधियां जिनका वित्तपोषण किया जाना है – एक अवर्गीकृत (नॉन डिस्क्रिप्टीव) दुधारु पशु (यूनिट लागत रु. 15,000)
2. कार्ड सीमा का निर्धारण (i) **फसल ऋण घटक** (धान की 1 एकड़ की खेती की लागत) :रु. 11,000 जोडिए : मौसम के बाद के लिए /घरेलू खर्चे / खपत के प्रति 10% : रू. 1,100 जोडिए : फार्म के रखरखाव के प्रति 20% : रू. 2,200 **प्रथम वर्ष के लिए कुल फसल ऋण सीमा : रु. 14,300.....ए1** **(ii) मीयादी ऋण घटक** दुधारु पशु की लागत **: रु. 15,000.....बी** **प्रथम वर्ष की संमिश्र केसीसी सीमा : (ए1) + (बी) : रु. 29,300**
दूसरा वर्ष: **फसल ऋण घटक :** ए1 अधिक लागत वृद्धि के प्रति फसल ऋण सीमा (ए1) का 10%/

वित्त के मान में बढ़ोतरी [14,300+(14,300 का 10%= 1430)] : रु. 15,730.....ए2 **दूसरे वर्ष की संमिश्र केसीसी सीमा : ए2 + (बी) (15,730+ 15,000) : रु. 30,730**
तीसरा वर्ष: **फसल ऋण घटक :** ए2 अधिक लागत वृद्धि के प्रति फसल ऋण सीमा (ए2) का 10%/ वित्त के मान में बढ़ोतरी [15,730+(15,730 का 10%= 1570)] : रु. 17,300.....ए 3 **तीसरे वर्ष की संमिश्र केसीसी सीमा : ए3 + (बी) (17,300 + 15,000) : रु. 32, 300**
चौथा वर्ष: **फसल ऋण घटक :** ए3 अधिक लागत वृद्धि के प्रति फसल ऋण सीमा (ए3) का 10%/ वित्त के मान में बढ़ोतरी [17,300+(17,300 का 10% = 1730)] : रु. 19, 030.....ए 4 **चौथे वर्ष की संमिश्र केसीसी सीमा : ए 4 + (बी) (19,030 + 15,000) : रु. 34,030**
पांचवा वर्ष: **फसल ऋण घटक :** ए4 अधिक लागत वृद्धि के प्रति फसल ऋण सीमा (ए4) का 10%/ वित्त के मान में बढ़ोतरी [19,030+(19,030 का 10% = 1900)] : रु. 20,930.....ए5 **पांचवे वर्ष की संमिश्र केसीसी सीमा : ए 5 + (बी) (20,930 + 15,000) रु. 35,930** **जैसे : रु. 36,000**
अधिकतम अनुमत सीमा / संमिश्र केसीसी सीमा : रु.36,000

टिप्पणी: ऊपर दिए गए सभी लागत अनुमान उदाहरण स्वरूप हैं। क्रेडिट सीमा को अंतिम रूप देते समय सिफारिश किए गए वित्त मान / यूनिट लागत को हिसाब में लिया जाए।

भाग II - वितरण (सुपुर्दगी) चैनल - तकनीकी विशेषताएं

1. कार्ड जारी करना:

योजना के तहत लाभार्थियों को एक स्मार्ट कार्ड / डेबिट कार्ड (एटीएम / हाथ में धारित स्वाइप मशीनों में प्रयोग करने के लिए संगत और किसानों की पहचान, आस्तियों, जोत भूमि और क्रेडिट प्रोफ़ाइल आदि संबंधी पर्याप्त जानकारी संग्रहीत करने के लिए सक्षम बायोमीट्रिक स्मार्ट कार्ड) में उपयोग के लिए) जारी किया जाएगा। सभी किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को किसी एक या निम्न प्रकार के कार्डों में से एक कार्ड या मिले-जुले कार्ड प्रदान किए जाए।

2. कार्ड के प्रकार:

सभी बैंकों के एटीएम और माइक्रो एटीएम में उपयोग की सुविधा प्रदान करने के लिए एक आईएसओ आईआईएन (अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन इंटरनेशनल पहचान संख्या) के साथ पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या) के साथ एक चुंबकीय पट्टीवाला कार्ड

ऐसे मामलों में जहाँ बैंक यूआईडीएआई (आधार प्रमाणीकरण) के केंद्रीकृत बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बुनियादी ढांचे का उपयोग करना चाहते हैं, वहां चुंबकीय पट्टी और यूआईडीएआई के बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ आईएसओ आईआईएन के साथ पिन वाले डेबिट कार्ड प्रदान किए जा सकते हैं।

चुंबकीय पट्टी और केवल बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ डेबिट कार्ड भी प्रदान किए जा सकते हैं जो बैंक के ग्राहक आधार पर निर्भर होगा। यूआईडीएआई का व्यापक प्रचलन हो जाने तक, यदि बैंक अंतर-परिचालन सुविधा के बिना उनके मौजूदा केंद्रीकृत जैव मेट्रिक बुनियादी सुविधाओं का उपयोग आरंभ करना चाहते हो तो बैंक ऐसा कर सकते हैं।

बैंकों के चुंबकीय और आईएसओ आईआईएन के साथ धारी पिन के साथ **ई एम वी** (यूरोपे, मास्टरकार्ड और वीसा, एकीकृत सर्किट कार्ड की अंतर-परिचालन सुविधा के लिए एक वैश्विक मानक) सुनम्य (कंम्प्लाएंट) चिप कार्ड जारी करने का विकल्प चुन सकते हैं।

साथ ही, बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण और स्मार्ट कार्ड के लिए आईडीआरबीटी और आईबीए द्वारा निर्धारित सामान्य खुले मानकों का पालन किया जा सकता हैं। इससे उन्हें इनपुट डीलरों के साथ असीमित रूप से लेनदेन करने की सक्षमता मिलेगी तथा मंडियों, खरीद केन्द्रों, आदि में अपने उत्पादन को बेचने पर अपने खातों में बिक्री से प्राप्त आय जमा कराना संभव हो जाएगा।

सभी सहकारी बैंकों को जल्द से जल्द सीबीएस प्लैटफॉर्म में परिवर्तित हो जाएंगे ताकि केसीसी में ऊपर उल्लिखित प्रकार से प्रौद्योगिकीय नवोन्मेष कार्यान्वित किए जा सके। जहाँ कही भी बैंक में सीबीएस स्थापित न हुआ हो वहां फिलहाल एक पास बुक या एक क्रेडिट कार्ड-सह-पासबुक जिसमें नाम, पता, धारित जोत के विवरण, उधार सीमा, वैधता अवधि आदि लिखा हो, जारी किया जा सकता है जो एक पहचान-पत्र के रूप में एवं निरंतर आधार पर लेनदेन दर्ज कराने की सुविधा दोनों रूप में कार्य करेगा।

3. वितरण चैनल:

प्रारंभ में, निम्नलिखित वितरण चैनल शुरु किए जाएंगे ताकि किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड का प्रयोग अपने किसान क्रेडिट कार्ड के खाते से अपने लेनदेन प्रभावी ढंग से किए जाए।

1. एटीएम / माइक्रो एटीएम के माध्यम से राशि आहरण
2. बीसी के माध्यम से स्मार्ट कार्ड का उपयोग द्वारा राशि आहरण
3. इनपुट डीलरों के माध्यम से पीओएस मशीन
4. आईएमपीएस क्षमताओं / आईवीआर के साथ मोबाइल बैंकिंग
5. आधार सक्षमीकृत कार्ड

4. मोबाइल बैंकिंग / अन्य चैनल :

अंतर बैंक मोबाइल भुगतान सेवा (एनपीसीआई का आइएमपीएस) सक्षमता के साथ – साथ केसीसी कार्डों / खातों के लिए भी मोबाइल बैंकिंग कार्यसुविधा (फंक्शनेलिटी) उपलब्ध करवाई जाए ताकि बैंकों के बीच निधि अंतरण के लिए तथा कृषि – निवेश वस्तुओं की खरीदारी के लिए एक अतिरिक्त सक्षमता के रूप में वणिक भुगतान लेन-देन भी कर पाने के लिए ग्राहक इस अंतर-परिचालनीय आइएमपीएस का प्रयोग कर सके।

यह मोबाइल बैंकिंग, व्यापक और सुरक्षित स्वीकार्यता के लिए आदर्शतः रचित पूरक डाटा (यूएसएसडी) प्लैटफार्म पर होना चाहिए। तथापि, बैंक अन्य पूर्णतः एनक्रिप्टेड माध्यमों (एप्लीकेशन आधारित या एसएमएस आधारित) में भी इसे प्रदान कर सकते हैं ताकि लेन-देन सीमाओं पर हाल की रियायतों का उपयोग हो सके। बैंक लेनेदेनों की सीमाओं संबंधी रिज़र्व बैंक के विनियमों की शर्त पर गैर-एनक्रिप्टेड मोबाइल बैंकिंग सुविधा भी प्रदान कर सकते हैं।

यह आवश्यक है कि एसएमएस आधारित सोल्यूशन के प्रयोग करने हेतु एमपीआइएन के माध्यम से प्रमाणीकरण के साथ केसीसी में लेन-देन कर सकने के लिए मोबाइल आधारित लेन-देन प्लैटफार्म हो। पारदर्शिता सोल्यूशनों को स्थानीय भाषा में आईवीआर पर एनेबल्ड होना चहिए । ऐसी मोबाइल आधारित भुगतान प्रणालियों को सभी बैंकों द्वारा जागरूकता लाते हुए तथा ग्राहकों को यथोचित रूप से शिक्षित करके बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

सुलभ संदर्भ के लिए केसीसी सीमाओं के लिए ऐसी मोबाइल आधारित लेन-देन प्रणाली हेतु एक फ्लो चार्ट संलग्न है।

बैंकों के पास उपलब्ध मौजूदा मूलभूत सुविधाओं के साथ सभी केसीसी धारकों को निम्नलिखित कार्डों में से किसी एक या मिले-जुले रूप में कार्ड उपलब्ध कराए जाने चाहिए:

- ✓ किसानों को सभी बैंकों के एटीएम /माइक्रो एटीएम के माध्यम से सीमा के संचालन की सक्षमता देनेवाले डेबिट कार्ड (पीआइएनयुक्त चुंबकीय पट्टीवाले कार्ड)
- ✓ चुंबकीय पट्टी और बायोमेट्रीक प्रमाणीकरणयुक्त डेबिट कार्ड
- ✓ कारोबारी प्रतिनिधियों,इनपुट डीलरों, व्यापारियों और मंडियों द्वारा धारित पीओएस मशीनों के माध्यम से लेनदेन हेतु स्मार्ट कार्ड
- ✓ चुंबक पट्टी तथा आइएसओ आइआइएन पिन युक्त ईएमवी कम्प्लाइंट चिप कार्ड

इसके अतिरिक्त कॉल सेन्टर / इंटर एक्टिव वॉइस रेसपांस (आइवीआर) रखने वाले बैंक आइवीआर के माध्यम से मोबाइल पिन (एमपीआईएन) के सत्यापन के लिए बैंक से कॉल-बैक सुविधा के साथ एसएमएस आधारित मोबाइल बैंकिंग उपलब्ध करवा सकते हैं, जिससे कार्ड धारकों को एक सुरक्षित एसएमएस आधारित मोबाइल बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो ।